1	2	3	
4	Goa	1	4
5	Gujarat	5	7
	i. Haryana	9	11
7, .	J & K	1	—
8.	Karnataka	2	4
9	Kerala	11	13
10 .	Madhya Pradesh	5	4
!1	Maharashtra	6	17
12	Manipur	11	17
13	Mizoram	5	5
14	Mcghalaya	—	3
15	Nagaland	3	3
16	Orissa	6	10
17	Punjab	6	7
18	Rajasthan	6	10
19	Tamil Nadu	8	26
20	Sikkim	—	2
21	Tripura	—	2
22	Uttar Pradesh	12	41
23	West Bengal	9	14
	UNION TERRITORY		
1.	Chandigarh	1	1
2.	Delhi	9	8
3.	Pondicherry	—	1
	TOTAL	130	233

Amendment to the Maternity Benefits Act, 1973

2792. SHRI KANAKSINH MOHAN SINH MANGROLA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Maternity Benefits Act, 1973 disallowing maternity leave to women, working in Super Bazar and other consumer cooperative sectors and establishments who have more than two children; and

(b) if so, whether Government have been aware of reaction of the women organisations and particularly of women below poverty line?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Central Legislation on maternity benefit is titled as "The Maternity Benefit Act, 1961." There is no proposal to amend this Act so as to impose any periodical restriction on grant of maternity benefit to the women employees covered under the Act.

(b) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा मिट्टी के तेल का आयात

2793. **श्री जनार्दन यादव:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं के लिए मिट्टी के तेल के मूल्य को कम करने के उद्देश्य से, राज्य व्यापार निगम को मिट्टी के तेल का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने अपने पास उपलब्ध तेल भंडारण टैंकों और पाइपलाइनों जैसी विभिन्न सुविधाओं का राज्य व्यापार निगम के साथ मिलकर उपयोग करने से संबंधित राज्य व्यापार निगम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एस०टी०सी०) को सरकार की समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत सुपीरियर कैरोसीन आयल (एस०के०ओ०) के आयात के लिए सरकार से किसी विशेष स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति द्वारा बिना किसी आयात लाइसेंस के एस०के०ओ० के आयात की अनुमति है।

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1994 में एस०टी०सी० ने आयातित एस०के०ओ० के भण्डारण के लिए आई० ओ०सी० की भण्डारण सुविधाओं का उपयोग करने हेतु इंण्डियन आयल कारपोरेशन के पास प्रस्ताव रखा। तथापि, आई०ओ०सी० ने इस आधार पर अपनी असमर्थता व्यक्त की कि एस०टी०सी० को देने के लिए उसके पास बम्बई और कांडला में फालतू भण्डारण